फ़ाइल सं. 13-16/5/2022-इंजि-नौमनि(सी.एन.20047) दिनांक-03.01.2024

वर्ष 2024 का नौमनि आदेश संख्या 01

विषय: समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन, 1974 से संबंधित 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा आशोधित रूप में इसके अध्याय ।।-2 में संशोधन और अग्नि सुरक्षा प्रणालियों पर इसकी प्रयोजनीयता-संबंधी

जबकि, भारत सरकार ने समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन 1974 (सोलास) का अनुसमर्थन किया है और यह कन्वेन्शन परिग्रहण के माध्यम से 25 मई, 1980 को प्रवृत्त हुआ। 1988 के प्रोटोकॉल द्वारा यथा आशोधित रूप में यह कन्वेन्शन 22 नवंबर, 2000 को परिग्रहण के माध्यम से प्रवृत्त हुआ। कन्वेन्शन का अनुच्छेद 1 सरकार सरकार की सामान्य बाध्यकारिता को अनिवार्य करता है कि वह इस कन्वेन्शन को प्रवृत्त करने के लिए वह हर आवश्यक उपाय करेगी।

जबकि, 1974 सोलास कन्वेन्शन के अध्याय ।।-2 द्वारा अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रणालियों और उपकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रदान करने के लिए संकल्प एमएससी.98(73)द्वारा समुद्रीय सुरक्षा समिति (एमएससी) द्वारा इसके तिहत्तरवें सत्र (दिसंबर 2000) में अग्नि सुरक्षा प्रणालियों (एफएसएस कोड) हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोड को अंगीकार किया गया था। यह कोड इसी सत्र में एमएससी द्वारा अंगीकृत कन्वेन्शन के संशोधनों द्वारा सोलास के अंतर्गत अनिवार्य किया गया।

जबकि, समुद्रीय सुरक्षा समिति (एमएससी) ने संकल्प एमएससी 98(73), एमएससी 206 (81), एमएससी 217 (82), एमएससी 297 (87), एमएससी 311 (88), एमएससी 327 (90), एमएससी 339 (91), एमएससी 367 (93), एमएससी 403 (96), एमएससी 410 (97), एमएससी 457 (101), एमएससी 484 (103) द्वारा एफएससी कोड के अध्यायों में संशोधनों को अंगीकार किया गया। ये संशोधन संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार प्रवृत्त हुए।

03/01/24

जबकि, यथा संशोधित, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में कन्वेशन को शामिल किया गया है और धारा 3 (37) में "सुरक्षा कन्वेन्शन" के तौर पर परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित 1 नवंबर, 1974 को लंदन में हस्ताक्षरित समुद्र में जीवन की सुरक्षा हेतु कन्वेन्शन है। इसके अलावा, कन्वेन्शन में यथा विनिर्दिष्ट अनिवार्य कोड और समय-समय पर किए गए इसके संशोधन प्रवृत्त हैं और जलयानों पर लागू हैं।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, भाग-9 सुरक्षा, धारा 283 से 309 में विधायी प्रावधान और शक्तियां दी गई हैं जो सोलास कन्वेन्शन के अंतर्गत विभिन्न अपेक्षाओं को भारतीय और विदेशी जलयानों पर क्रियान्वित करने हेतु हैं।

जबकि, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, भाग-9, धारा 289 में नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, धारा 290 में पोतों पर अग्नि उपस्करों से संबंधित निरीक्षण हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं।

जबकि, सरकार ने वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि उपस्कर) नियम, 1990 जारी किए हें और कन्वेन्शन में इन्हें प्रवृत्त किए जाने के लिए एक उपाय के रूप में इनमें संशोधन किया गया है। सरकार ने विभिन्न कार्यकारी आदेश, परिपत्र समय-समय पर जारी किए हैं जिनमें अग्नि उपस्करों पर अनुदेश दिए गए हैं। भारतीय पोतों पर आग से संरक्षा, इसका पता लगाने और इसे बुझाने संबंधी रख-रखाव और निरीक्षण हेतु दिशानिर्देश वर्ष 2013 के इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या 06 के माध्यम से जारी किए थे। दिनांक 19 अगस्त, 2013 को जारी वर्ष 2013 के इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या 06 का शुद्धिपत्र वर्ष 2022 का इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या 01 के रूप में जारी किया गया।

जबकि, मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) 26 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे, और यथा विनिर्दिष्ट रूप से, प्रत्येक आरओ के साथ एक समझौता किया गया कि वे कन्वेन्शन के अनुसार सर्वेक्षण और प्रमाणन करेंगे।

इसे ध्यान में रखते हुए कि आईएमओ ने समय-समय पर अग्नि सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित सोलास के अध्याय ।।-2 में कई संशोधन जारी किए हैं जो कि इस आदेश के "अनुलग्नक-1" पर संलग्न हैं। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में यथा परिभाषित रूप से, कन्वेन्शन के ये संशोधन पहले से प्रवृत्त हैं और और भारतीय जलयानों पर लागू हैं।

इसलिए हितधारियों से अपेक्षा है कि वे समुद्र में जीवन की सुरक्षा और अनिवार्य कोडों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन को पूरी तरह से प्रवृत्त करने हेतु प्रावधानों के अनुपालन के प्रति इस आदेश द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें।

4/07/24

(श्याम जगन्नाथन)

नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

1. नौमनि की वैबसाइट के माध्यम से समस्त हितधारी
2. कम्प्यूटर कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि इसे नौमनि की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए